न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, हमीरपुर।

उपस्थित–अफशाँ (एच०जे०एस०) आई०डी०सं०–UP6164

UPHM010019792026

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–917/2026

बाबूराम उम्र 35 वर्ष पुत्र लल्लू कुशवाहा, निवासी– ग्राम मकरबई, थाना कबरई, जिला महोबा (उ०प्र०)। **.....आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० राज्य **.....विरुद्ध पक्ष।**

मु०अ०सं०–50/2018
धारा–147, 307, 504, 506, 34 भा०द०सं०
थाना–मौदहा, **जिला**–हमीरपुर

23.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **बाबूराम** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–50/2018, धारा–147, 307, 504, 506, 34 भा०द०सं०, थाना–मौदहा, जिला–हमीरपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह निर्दोष है। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण वह मजदूरी के सिलसिले में बाहर चला गया, जिसकी सूचना उसने अपने अधिवक्ता को दी थी। कुछ दिन बाद वह बीमार हो गया, जिसकी सूचना वह अपने अधिवक्ता को नहीं दे पाया और उसके विरुद्ध एन०बी०डब्लू० वारण्ट जारी हो गया। वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा तथा नियत तिथियों में उपस्थित आता रहेगा। वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन मजदूरी करने से करता है, जेल में रहने से सख्त नुकसान व हकतल्फी है। आवेदक/अभियुक्त दिनाँक 30.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत प्रदान की जाये।

3. विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) द्वारा जमानत का विरोध किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध गैरजमानतीय वारण्ट जारी किया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अनुपस्थिति का कारण उसका बीमार होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में पूर्व में जमानत पर था तथा एन०बी०डब्लू० के निर्गत होने के पश्चात दिनाँक 30.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है तथा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **बाबूराम** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं०–917/2026 स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) का नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी समान धनराशि की दो नवीन जमानतें न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

2– यह कि धारा 351 बी०एन०एस०एस० के बयान अंकित किये जाने के समय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा और न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

3– यह कि आवेदक/अभियुक्त अपने पता में परिवर्तन करने की स्थिति में न्यायालय को सूचित करेगा।

शर्तो का उल्ल्घन करने पर संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

दिनांक–23.07.2026

(अफशाँ)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हमीरपुर ।
(आई.डी. UP6164)

Digitally signed by AFSHAN
Date: 2026.07.23 16:36:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court